''शिक्षण संस्थानों में छात्र संघ चुनाव, शिक्षक परिप्रेक्ष्य में कितने उपादेय''

सोनू गौड
अनुसंधात्री (शिक्षा संकाय) बनस्थली विद्यापीठ,निवाई,टोंक(राज.)

सारांश

भारत की शासन व्यवस्था लोकतंत्र पर आधारित है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी कायम हो सकेगी जब यहाँ के युवाओं को विकास के अवसर मिलेंगे। युवाओं के विकास के लिए उच्च शिक्षा के साथ–साथ सहगामी क्रियाओं को भी बढ़ावा मिले। इस आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र संघ चुनाव होने लगे। छात्र संघ चुनाव, प्रशासन व छात्रों के मध्य की कड़ी है। छात्रों की समस्याओं को छात्र नेता, प्रशासन तक पहुँचाते हैं। परन्तु कालान्तर में छात्र संघ चुनाव समाजवाद से प्रभावित होकर देश की राजनीति का हिस्सा बनने लगे, छात्र संघ चुनावों में राजनीति का दबदबा बढ़ने लगा तो सरकार ने छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी परन्तु दस वर्षों बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र संघ पुनः आरम्भ किये गये।

शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली सतत् प्रक्रिया है जो अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करके उसे बुद्धिमान, चरित्रवान बनाती है उसी प्रकार यह दूसरी ओर अपनी समाजशास्त्रीय प्रकृति के रूप में समाज की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। राष्ट्र की प्रगति का आधार शिक्षा को ही माना जाता है। इसी आधार पर शिक्षा आयोग (1964–66) ने कहा है कि ''भारत के भाग्य का निर्माण उनकी कक्षाओं में हो रहा है।''

भारत की शासन व्यवस्था लोकतंत्र पर आधारित है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी कायम हो सकेगी जब वहाँ के युवाओं को विकास के अवसर मिल सकेंगे। युवाओं के द्वारा ही देश का निर्माण किया जाता है। भारत में युवा पीढ़ी के विकास हेतु उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती है। जिससे उनका बौद्धिक स्तर और अधिक उन्नत हो सके तथा वे अपने व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास कर सकें।

देश के सम्पूर्ण विकास के लिए उपयोगी, लाभकारी एवं उन्नत शिक्षा के साथ देश के नागरिकों को समाज के प्रति रुचिशील होना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। शिक्षा का सही अर्थ छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान का अध्ययन करना ही नहीं वरन् बालक का सर्वांगीण विकास करना तभी माना जा सकता है जब बालक समाज व राष्ट्र में चल रही गतिविधि में सक्रिय सहभागी होंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी विकास हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। ये सभी कार्यक्रम विद्यार्थी हित के समर्थन तंत्र का कार्य करते है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन का उद्देश्य छात्रों की समस्त कठिनाईयों एवं समस्याओं का निवारण करके अनुकूल व सुविधामय वातावरण प्रदान करना हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों की शैक्षिक प्रक्रिया के सुचारु रूप से संचालन हेतु विश्वविद्यालय के उच्च शैक्षिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों तथा सम्प्रेषण का कार्य कतिपय चयनित छात्रों द्वारा किया जाता है अर्थात् उच्च शिक्षण संस्थानों में कक्षावार छात्रों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाने हेतु छात्र अपनी कक्षा के सहपाठियों में से ही एक छात्र को चुनकर उसी छात्र के माध्यम से अपनी व महाविद्यालय की समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाया करते थे परन्तु उस शिक्षण संस्थान से छात्र नेता चुनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सभी की सहमति ली जाने लगी और विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र संघ चुनाव होने लगे।

समाजवाद से प्रभावित छात्र संघ चुनावों के द्वारा चयनित छात्रों ने राजनीति में सहयोग प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया। सभी शिक्षा आयोग और प्रमुख समितियों ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का प्रमुख कार्य लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए छात्रों को तैयार करना ताकि देश को सुयोग्य नागरिक प्राप्त हो सके। छात्र संघ चुनाव उच्च शिक्षण संस्थानों में पुनः आरम्भ किए गए हैं। अतः प्रश्न उठता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र संघ चुनाव किस हद तक उपयोगी है? क्या वहाँ अध्यापन करने वाले शिक्षक भी इन्हें उपयोगी मानते है

या अनुमोदन करते हैं विभिन्न संकायों में अध्यापन करने वाले शिक्षकों को छात्र संघ चुनावों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? इनके दृष्टिकोण में क्या अन्तर है ? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु किए गए शोध का शीर्षक इस प्रकार निर्धारित किया गया –

शोध समस्या

शिक्षण संस्थानों में छात्र संघ चुनाव, शिक्षक परिप्रेक्ष्य में कितने उपादेय?

अध्ययन के उद्देश्य

(i) शिक्षण संस्थानों में छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया की उपादेयता के प्रति संकायवार शिक्षक प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ

अध्ययन के लिए उद्देश्य की पूर्णता हेतु अग्रलिखित परिकल्पना का निर्माण किया गया –

शिक्षण संस्थानों में संकायवार शिक्षकों का छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया की उपादेयता के प्रति प्रत्यक्षीकरण में अन्तर नहीं पाया जाता है।

शोध विधि

प्रस्तावित शोध अध्ययन का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में छात्र संघ चुनाव शिक्षक परिप्रेक्ष्य में उपादेयता का अध्यापन करना है। अतः प्रस्तुत शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के विभिन्न संकायों में कार्यरत शिक्षक प्रस्तुत अध्याय की जनसंख्या है।

न्यादर्श

न्यादर्श रूप में चयनित विश्वविद्यालय के 200 शिक्षकों को शोध अध्ययन के मध्यस्थ चर को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्धता के आधार पर उद्देश्यपूर्ण विद्यि द्वारा चयनित किया गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत शोध के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वनिर्मित उपादेय का प्रयोग किया गया।

छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया की उपादेयता के प्रति शिक्षक प्रत्यक्षीकरण को जानने हेतु प्रश्नावली का प्रयोग किया गया।

शोध निष्कर्ष

क्र. सं.	संकायवार प्रत्यक्षीकरण पक्ष	कला संकाय		विज्ञान संकाय		वाणिज्य संकाय		विधि संकाय	
		असहमत	सहमत	असहमत	सहमत	असहमत	सहमत	असहमत	सहमत
1	व्यक्तिगत	19.73	80.26	31.04	68.96	18.19	81.81	17.5	82.5
2	शैक्षिक	11.54	88.46	27.15	72.85	29.58	70.42	21	79
3	प्रशासनिक	19.25	80.75	11.65	88.35	26.15	73.85	24.16	75.84
4	सामाजिक	9.05	90.95	30	70	25	75	20	80
5	राजनैतिक	8	92	11	89	20	80	16	84
6	आर्थिक	19	81	6	94	20	80	28.5	71.5

तालिका में शिक्षण संस्थानों में छात्र संघ चुनावों की उपादेयता शिक्षक परिप्रेक्ष्य में संकायवार (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) विविध पक्षों में व्यक्त किया गया है। तालिका को देखने से सपष्ट है की कला वर्ग के शिक्षकों ने विविध पक्षों में– व्यक्तिगत पक्ष में 80.26 प्रतिशत, शैक्षिक पक्ष में 88.46 प्रतिशत, प्रशासिक पक्ष में 80.75 प्रतिशत, सामाजिक पक्ष में 90. 95 प्रतिशत, राजनैतिक पक्ष में 92 प्रतिशत तथा आर्थिक पक्ष में 81 प्रतिशत सहमति व्यक्त की है। विज्ञान वर्ग के शिक्षकों ने विविध पक्षों में– व्यक्तिगत पक्ष में 68.96 प्रतिशत, शैक्षिक पक्ष में 72.85 प्रतिशत, प्रशासिक पक्ष में 89.35 प्रतिशत, सामाजिक पक्ष में 70 प्रतिशत, राजनैतिक पक्ष में 89 प्रतिशत तथा आर्थिक पक्ष में 94 प्रतिशत सहमत प्रत्यक्षीकरण व्यक्त किया है। वहीं वाणिज्य वर्ग के शिक्षकों ने विविध पक्षों में– व्यक्तिगत पक्ष में 81.81 प्रतिशत, शैक्षिक पक्ष में 70.42 प्रतिशत, प्रशासिक पक्ष में 73.82 प्रतिशत, सामाजिक पक्ष में 75 प्रतिशत, राजनैतिक पक्ष में 80 प्रतिशत तथा आर्थिक पक्ष में 80 प्रतिशत सहमति व्यक्त की है और विधि वर्ग के शिक्षकों ने विविध पक्षों में– व्यक्तिगत पक्ष में 82.5 प्रतिशत शैक्षिक पक्ष में 79 प्रतिशत, प्रशासिक पक्ष में 74.85 प्रतिशत, सामाजिक पक्ष में 80 प्रतिशत, राजनैतिक पक्ष में 84 प्रतिशत तथा आर्थिक पक्ष में 7.5 प्रतिशत सहमति व्यक्त की है। जबकि छात्र संघ चुनावों की उपादेयता के प्रति संकायवार शिक्षकों की विविध कारकों के संदर्भ में असहमति – कला वर्ग के शिक्षकों ने विविध पक्षों में – व्यक्तिगत पक्ष में 19.73 प्रतिशत, शैक्षिक पक्ष में 11.54 प्रतिशत, प्रशासिक पक्ष में 19.25 प्रतिशत, सामाजिक पक्ष में 9.05 प्रतिशत, राजनैतिक पक्ष में 8 प्रतिशत तथा आर्थिक पक्ष में 19 प्रतिशत असहमति व्यक्त की है। वही विज्ञान वर्ग के शिक्षकों ने विविध पक्षों में – व्यक्तिगत पक्ष में 31.04 प्रतिशत, शैक्षिक पक्ष में 27.15 प्रतिशत, प्रशासिक पक्ष में 11.65 प्रतिशत, सामाजिक पक्ष में 30 प्रतिशत, राजनैतिक पक्ष में 11 प्रतिशत तथा आर्थिक पक्ष में 6 प्रतिशत असहमति व्यक्त की है। वाणिज्य वर्ग के शिक्षकों ने विविध पक्षों में – व्यक्तिगत पक्ष में 18.19 प्रतिशत, शैक्षिक पक्ष में 29.58 प्रतिशत, प्रशासिक पक्ष में 26.15 प्रतिशत, सामाजिक पक्ष में 25 प्रतिशत, राजनैतिक पक्ष में 20 प्रतिशत तथा आर्थिक पक्ष में 20 प्रतिशत असहमति व्यक्त की है और विधि वर्ग के शिक्षकों ने विविध पक्षों में – व्यक्तिगत पक्ष में 17.5 प्रतिशत, शैक्षिक पक्ष में 2 प्रतिशत, प्रशासिक पक्ष में 24.16 प्रतिशत, सामाजिक पक्ष में 20 प्रतिशत, राजनैतिक पक्ष में 16 प्रतिशत तथा आर्थिक पक्ष में 28.5 प्रतिशत असहमति व्यक्त की है।

प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि विविध कारकों के संदर्भ में छात्र संघ चुनावों की उपादेयता के प्रति कला वर्ग के शिक्षकों ने सबसे अधिक सहमति राजनैतिक पक्ष के 92 प्रतिशत तथा सबसे कम असहमति 19.73 व्यक्तिगत पक्ष में व्यक्त की है। जिसका संभवतः कारण हो सकता है कि कला वर्ग के शिक्षक छात्र राजनीति में अपनी रुचि रखते होंगे। छात्र संघ चुनावों को छात्रों के हित में मानते होंगे।

विज्ञान वर्ग के शिक्षकों ने सबसे अधिक सहमति 94 प्रतिशत आर्थिक पक्ष में व्यक्त की है जिसका संभवतः कारण हो सकता है कि विज्ञान वर्ग के शिक्षकों का मानना होगा की छात्र संघ चुनावों से शिक्षण संस्थानों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

वाणिज्य वर्ग के शिक्षकों ने सबसे अधिक सहमति व्यक्तिगत पक्ष मे 81.81 प्रतिशत व्यक्त की है। संभवतः कारण हो सकता है कि वाणिज्य वर्ग के शिक्षक छात्र संघ में रुचि रखते होंगे तथा उनका मानना होगा कि छात्र संघ चुनावों से विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास होता होगा।

विधि वर्ग के शिक्षकों ने सबसे अधिक सहमति राजनैतिक पक्ष 84 प्रतिशत व्यक्त की है। जिसका संभवतः कारण हो सकता है विधि वर्ग के शिक्षक राजनीति व लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी रुचि रखते होंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. **अग्निहोत्री, रवीन्द्र (1994),** *''आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएँ और समाधान''*, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
2. **गुड़, सी.वी (1959),** *''डिक्शनरी ऑफ एज्यूकेशन मेकग्राहिल कम्पनी''*, न्यूयार्क।
3. **गुप्त, रामबाबू** *''भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामाजिक समस्याएँ''*, रतन प्रकाश मंदिर, आगरा।
4. **अग्रवाल, विनोद कुमार (1994),** *''शिक्षा और राजनीति''*, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
5. **बुच, एम.बी. (1983–88),** *''फोर्थ सर्वे ऑफ एज्यूकेशन रिसर्च,''* NCERT नई दिल्ली।
6. **वर्ड, लाल चन्द प्रकाश (1991),** *''आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण''*, उत्तर प्रदेश मण्डल।
7. **राजस्थान पत्रिका।**
8. **दैनिक भास्कर।**